

हिमाचल प्रदेश भू स्थानिक आंकड़ा केंद्र  
दक्षिण मार्ग, सेक्टर - 32 ए  
चंडीगढ़ - 160030 (यू टी )  
फैक्स : 0172-2607580  
दूरभाष : 0172-2607580  
ईमेल : hp.gdc soi@gov.in



Himachal Pradesh G. D.C.  
Dakshin Marg, Sector 32 A  
Chandigarh – 160030 (UT)  
Fax – 0172-2607580  
Telephone – 0172-2607580  
Email – hp.gdc soi@gov.in

नेमी आदेश सं.प्रशा.

05/37-जी-9

दिनांक

03 अगस्त  
जुलाई, 2021

1. जाति का पुनर्सत्यापन (REVERIFICATION OF CASTE STATUS) :-

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द को मोटर ड्राइवर कम मैकेनिक ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने पर जाति का पुनर्सत्यापन करवाया गया जो कि तहसीलदार पालमपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के दिनांक 21 जून, 2021 के पत्र सं. 110/एम.सी. के अर्न्तगत सही पाया गया ।

Reverification of caste status of Sh. Suresh Kumar S/o Sh Subhash Chand on his promotion to the post of Motor Driver-Cum-Mechanic Gde-II has been verified and found correct vide Tehsildar Palampur, District Kangra (H.P.) letter No. 110/MC dated 21-06-2021.

2. स्थानान्तरण/पदोन्नति (TRANSFERRED IN):-

निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शाये गए विवरणानुसार इस केन्द्र में स्थानान्तरण पर आए:-

The following Officers has been transferred to this Centre as per detail shown against his name:-

क्रम सं. Sl No.	नाम व पदनाम Name & Designation	किस कार्यालय से Transferred from	किस कार्यालय को Transferred To	स्थानान्तरण की तिथि Date of Transfer	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि Date of Joining
1.	श्री गिरधारी लाल वर्मा, अधिकारी सर्वेक्षक Sh. Girdhari Lal Verma, Officer Surveyor	जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख जी.डी.सी., जम्मू (नगरोटा) Jammu & Kashmir and Ladakh G.D.C., Jammu (Nagrota).	हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी., चण्डीगढ़ Himachal Pradesh GDC, CHD	07-06-2021 (अप.) 07-06-2021 (A/N)	08-06-21 (पूर्वा.) 08-06-2021 (F/N)
2.	श्री सुनील कुमार रतूड़ी, अधिकारी सर्वेक्षक Sh. Sunil Kumar Raturi, Officer Surveyor	भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून (उत्तराखंड) Office of the Surveyor General of India, Dehradun (Uttarakhand)	हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी., चण्डीगढ़ Himachal Pradesh GDC, CHD	09-07-2021 (अप.) 09-07-2021 (A/N)	13-07-21 (पूर्वा.) 13-07-2021 (F/N)

प्राधिकार :- भारत के महासर्वेक्षक का दिनांक 21-05-2021 का पत्र सं. स्था.1-3042/1466-प्लेसमेंट कमेटी  
(Authority:- S.G.'s letter No. E1-3042/1466-Placement Committee dated 21-05-2021)



3. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन का संशोधन  
(REVISION OF FINANCIAL UPGRADATION UNDER MACP SCHEME):-

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन, दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/3008-स्था. (डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस केन्द्र के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाए गए विवरणानुसार केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत संशोधित प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

In pursuance of the instruction contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personal & Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt. (D) dated 19-05-2009 received under Department of Science & Technology's letter No.A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009 the following Personnel of this office is hereby granted revised First Financial Upgradation under the MACP Scheme for the Central Govt. Civilian Employee as shown against his name:-

क्रम सं. Sl.No.	नाम व पदनाम Name & Designation	वित्तीय उन्नयन पर ग्रेड वेतन Grade Pay on Financial Upgradation	(MACP) वित्तीय उन्नयन MACP Financial Upgradation	(MACP) वित्तीय उन्नयन की तिथि Date of MACP
1.	श्री गोपी लाल, एम.टी.एस. Sh. Gopi Lal, M.T.S.	पी.बी.-1 (Rs. 5200-20200) ग्रेड पे: 1900 P.B.-1 (Rs. 5200-20200) Grade Pay Rs. 1900	प्रथम वित्तीय उन्नयन First Financial Upgradation	07-04-2014
<p>प्राधिकारी :- भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं. सी-3132/1902-एम.ए.सी.पी. (ग्रुप 'डी') दिनांक 29-06-2021 जोकि अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ का पत्र सं. सी-105/14-सी-1/डी.एस.सी./एम.ए.सी.पी. दिनांक 30 जून, 2021 के अंतर्गत प्राप्त हुआ ।  (Authority:- S.G.'s letter No. C-3132/1902-MACP (Gp. 'D') dated 29-06-2021 received under Addl. S.G.'s, Northern Zone, Chandigarh letter No. C-105/14-C-1/DSC/MACP dated 30-06-2021.</p>				

\* श्री गोपी लाल, एम.टी.एस. (सेवानिवृत्त) को संशोधित एम.ए.सी.पी. प्रदान करने के परिणामस्वरूप उन्हें पहले 01-09-2008 को पहला एम.ए.सी.पी. और 24-12-2015 को दूसरा एम.ए.सी.पी. दिया गया था । अतः इस संबंध में पूर्व में जारी नेमी आदेश सं. 10/37-जी-9 दिनांक 25-10-2010 में क्रमांक 1 की मद संख्या 22 तथा नेमी आदेश संख्या 06/37-जी-9 दिनांक 02-06-2016 में मद संख्या 06 को निरस्त किया जाता है ।

Consequent upon grant of revised MACP to Sh. Gopi Lal, MTS (Retd.) he was earlier given the first MACP on 01-09-2008 and the second MACP on 24-12-2015. In this regard Item No. 22 of serial No. 01 in Routine Order No. 10/37-G-9 dated 25-10-2010 issued earlier and Item No. 06 in Routine Order No. 06/37-G-9 dated 02-06-2016 are cancelled.

- उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।  
The pay of the above Officer/employee will be fixed by the Head of Office.
- उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारी को अपने वेतन निर्धारण के लिए एफ.आर. 22(1)(ए)(1) के तहत अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा ।  
The employee/Officer concerned is required to exercise an option for fixation of pay under FR 22(1)(a)(1) in the new scale of pay on grant of financial upgradation under MACP Scheme within one month.



3. अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा-शीर्ष के नामें डाला जाएगा ।  
The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this Office for the financial year 2021-22 and debited to the appropriate Head of Account.

**4. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन (FINANCIAL UPGRADATION UNDER MACP SCHEME) :-**

- (क) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं.ए-11019/1/2008-सी.डी.एन., दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में महासर्वेक्षक कार्यालय के पत्रांक J-593/2158-7<sup>th</sup> CPC दिनांक 21-01-2020 के अन्तर्गत जारी मंत्रालय के पत्र संख्या SM/04/13/2015 दिनांक 16-01-2020 एवं DoP&T के OM No.35034/3/2015-Estt.(D) दिनांक 22-10-2019 के Annexure के पैरा 6.1 के संदर्भ में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के वेतनमान के लेवल 7 से लेवल 8 में Upgradation के सम्बन्ध में महासर्वेक्षक कार्यालय के पत्रांक J-1794/2158-7<sup>th</sup> CPC दिनांक 10-11-2020 के अन्तर्गत जारी मंत्रालय के पत्र संख्या SM/04/13/2015 दिनांक 09-11-2020 के निर्देशों के अनुपालन में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स के लेवल-09 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता है:-

In pursuance of the instruction contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personal & Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt. (D) Dated 19-05-2009 received under Department of Science & Technology's letter No.A-11019/1/2008-CDN Dated 08-06-2009 and in accordance with the directions issued vide S.G.'s letter No.J-593/2158-7<sup>th</sup> CPC dated 21-01-2020 and as per para 6.1 of Annexure to DoPT OM No. 35034/3/2015-Estt.(D) dated 22-10-2019 in connection with the upgradation from Level-7 to Level-8 in r/o the Officer Surveyor of Sol department and in compliance with direction/clarifications issued vide DST's letter No. SM/04/13/2015 dated 09-11-2020 as enclosed by SGO vide letter No.J-1794/2158-7<sup>th</sup> CPC dated 10-11-2020 the order mentioned Officer Surveyor of the centre in hereby granted Second Financial Upgradation (Pay Matrix Level-9) under modified assured career progression scheme with effect from the date as mentioned against his name:-

क्रम सं. Sl.No.	नाम व पदनाम Name & Designation	वित्तीय उन्नयन पर वेतन मैट्रिक्स लेवल Grade Pay/Pay Matrix Level on Financial Upgradation	(MACP) वित्तीय उन्नयन MACP Financial Upgradation	(MACP) वित्तीय उन्नयन की तिथि Date of MACP
1.	श्री शंकर प्रसाद, अधिकारी सर्वेक्षक Sh. Shankar Prasad, Officer Surveyor	वेतन मैट्रिक्स लेवल-9 Pay Matrix Level-9	द्वितीय वित्तीय उन्नयन Second Financial Upgradation	23-12-2019* * On completion of 10 years regular service in same Grade
<p>प्राधिकारी:- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का दिनांक 17-06-2021 का पत्र सं.सी-2909/1902-MACP-II (OS) (Authority:-Surveyor General of India, Dehradun letter No.C-2909/1902-MACP-II (OS) dated 17-06-2021.</p>				




- (ख) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008-स्था.(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं.सी-3423/1902-एम.ए.सी.पी. (गुप 'डी') दिनांक 09-07-2021 के अनुसार संबंधित कर्मचारी के सामने दर्शाए गए विवरणानुसार प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

In pursuance of the instruction contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personal & Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt. (D) Dated 19-05-2009 received under Department of Science & Technology' letter No. A-11019/1/2008-CDN Dated 08-06-2009 and accordance to Surveyor General of India, Dehradun letter No. C-3423/1902-MACP Dated 09-07-2021 the following employee is hereby granted First Upgradation as shown against his name:-

क्रम सं. Sl.No.	नाम व पदनाम Name & Designation	वित्तीय उन्नयन पर ग्रेड वेतन/लेवल Grade Pay/ Level on Financial Upgradation	MACP) वित्तीय उन्नयन MACP Financial Upgradation	((MACP) वित्तीय उन्नयन की तिथि Date of MACP
1.	श्री सारस कुमार, एम.टी.एस. Sh. Sarash Kumar, M.T.S.	पी.बी.-1 (Rs. 5200-20200) (लेवल-2) P.B.-1 (Rs. 5200-20200) (Level-2)	प्रथम वित्तीय उन्नयन First Financial Upgradation	01-04-2021
<b>प्राधिकार:- अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, चण्डीगढ़ का दिनांक 12-07-2021 का पत्र सं.सी-125/14-सी-1/डी.एस.सी./एम.ए.सी.पी. (Authority:- Northern Zone Office, Chandigarh letter No. C-125/14-C-1/DSC/MACP dated 12-07-2021)</b>				

- उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।  
The pay of the above Officer/employee will be fixed by the Head of Office.
- उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारी को अपने वेतन निर्धारण के लिए एफ.आर. 22(1)(ए)(1) के तहत अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा ।  
The employee/Officer concerned is required to exercise an option for fixation of pay under FR 22(1)(a)(1) in the new scale of pay on grant of financial upgradation under MACP Scheme within one month.
- अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा-शीर्ष के नामें डाला जाएगा ।  
The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this Office for the financial year 2021-22 and debited to the appropriate Head of Account.

  
 (कुणाल श्रीधर बोरकर) कर्नल // (Kunal Shridhar Borkar) Col.,  
 निदेशक (अतिरिक्त कार्यभार) / Director (Additional Charge)  
 हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी./ Himachal Pradesh G.D.C.

- वितरण:-
- 1) भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ । (ई-मेल द्वारा)  
Surveyor General of India, Dehradun for Information (e-Mail)
  - 2) अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ । (ई-मेल द्वारा)  
Addl. S.G., Northern Zone, Chandigarh for Information (e-Mail)

- 3) उप लेखा नियंत्रक, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, जयपुर को सूचनार्थ । (ई-मेल द्वारा)  
Deputy Controller of Accounts, RP&AO, Jaipur for Information (e-Mail)
- 4) प्रभारी विभागीय वेबसाइट, देहरादून को संबंधित टैब में प्रकाशित करने हेतु । (admn.soi@gov.in)  
Survey of India, Website for publication.
- 5) प्रभारी आदान एवं लेखा अनुभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।  
Incharge, Drawal & Accounts Section for necessary action.